भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड Railway Board)

No: 2010/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 5.7.2012

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).

The General Manager, CORE, Allahabad.

The General Manager, Metro Railway, Kolkata.

The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.

CAO/Workshop Projects organization, 1st Floor, Chamber Bhawan, JC Road, Patna-800001.

CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.

CAO/RCF/RBL, Old TA Building, Kishanganj, Delhi,

MD/All Railway PSUs, KRCL, MRVC

CAO/All autonomous entity under Ministry of Railways

Sub: Public Procurement Policy for goods produced and services rendered by Micro and Small Enterprises (MSEs) by Central Ministries/Departments/Public Sector Undertakings (PSUs).

In exercise of the powers conferred on it in Section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notified the Public Procurement Policy in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings. The copy of notification No.503 dated 23.3.2012, as printed in the Gazette of India, is enclosed for guidance and compliance.

- 1.1 The Public Procurement Policy rests upon the core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective.
- 1.2 The Policy envisages extending certain benefits/preferential treatment to MSEs and making efforts for development of appropriate vendors and enhancement of their participation in government procurements. In order to avail themselves of such benefits and preferential treatment, the MSEs must be registered with any of the following:-
 - (i) District Industries Centers
 - (ii) Khadi and Village Industries Commission
 - (iii) Khadi and Village Industries Board
 - (iv) Coir Board
 - (v) National Small Industries Corporation
 - (vi) Directorate of Handicraft and Handloom
 - (vii) Any other body specified by Ministry of MSME

Sentoch Mittal

ArM

- 2. In pursuance of the Public Procurement Policy on MSE, it has been decided that :-
 - (i) Tender sets shall be provided free of cost to MSEs registered with the above agencies for the item tendered.
 - (ii) MSEs registered with the above agencies for the item tendered will be exempted from payment of Earnest Money.
 - (iii) In tenders, participating MSEs quoting a price within price band of L1+15% shall be allowed to supply a portion of the requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a MSE and such MSEs can be together ordered upto 20% of the total tendered value.
 - Every central Ministry or Department or Public Sector Undertaking (iv) shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 %, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years. After a period of three years i.e. from 01-04-2015, overall procurement goal of minimum 20 % shall be mandatory. Annual goal of procurement also include subcontracts to Micro and Small Enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation. 720% out of this 20% (i.e., overall 4%) of procurement of goods and services will be from MSEs owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes (SC/ST) entrepreneurs. In the event of failure of such MSEs to participate in the tender process or meet tender requirements and L1 price, 4% sub-target of procurement earmarked from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs shall be met from other MSEs.
 - (v) Ministries or Departments or PSUs shall continue to procure 358 items (Appendix to the Notification) from Micro and Small enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them.
- 2.1 While computing the overall achievement against the 20% goal, the computation shall also include the procurement and sub-contract made from MSEs by
 - (a) large scale vendors of Railway units and
 - (b) consortia of MSEs (as vendors to Rly. Units) formed by NSIC.
- 3. In order to extend the benefit/preferential treatment to eligible MSEs, suitable conditions may be included in the bid document as indicated below:-
 - (a) "Para 2(i) to 2(iii) above".
 - (b) (l) "MSEs who are interested in availing themselves of these benefits will enclose with their offer the proof of their being MSE

Santosh Mittal

AsM

registered with any of the agencies mentioned in the notification of Ministry of MSME indicated below:

- (i) District Industries Centers
- (ii) Khadi and Village Industries Commission
- Khadi and Village Industries Board (iii)
- Coir Board (iv)
- National Small Industries Corporation (v)
- Directorate of Handicraft and Handloom (vi)
- Any other body specified by Ministry of MSME. (VII)
- (II)The MSEs must also indicate the terminal validity date of their registration.

Failing (I) & (II) above, such offers will not be liable for consideration of benefits detailed in MSE notification of Government of India dated 23.3.12".

- 4. Further, in order that the required information as desired by the MSE policy is effectively tapped, all vendor approving/registering units are hereby directed to immediately seek the following information from the vendors approved/registered by them and incorporate in their database-
 - Category of vendors as below:-(a)
 - Micro Enterprises (i)
 - Small Enterprises (ii)
 - Each of the above categories must further be sub-classified (b) under the following categories:-
 - Enterprises owned by Scheduled Castes. (i)
 - Enterprises owned by Scheduled Tribes. (ii)
 - Enterprise owned by other than above two categories. (iii)
 - For a vendor to get classified as a Micro Enterprise and (C) Small Enterprise, the vendor must submit documentary proof of being registered with any of the agencies indicated in para 1.2 and also the terminal date of validity of the registration:
- Railways shall capture and report the data of procurement from MSEs (indicating separately the value of procurement from MSEs owned by SC/ST) to Railway Board at the end of each financial year along with the annual figures. The value of procurement from MSEs will include the direct procurement from MSEs plus the sub-contracting given by large scale vendors/consortia of MSEs to their MSE sub-contractors (as indicated in Para 2.1 above).
- 6. This supersedes the existing policy of price preference and benefits to Small Scale Industries being followed till now.

Sentoral Mitter

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

Please acknowledge receipt.

Santosh Mittal)
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-l
Railway Board

No: 2010/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 5.7.2012

Copy to:

FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.

- PCEs, All Indian Railways & Production Units, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
- CMEs , CEEs, CSTEs , All Indian Railways & Production Unit, WPO/Patna, RCF/RBL.
- 4. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
- The Director of Audit, All Indian Railways.

A814

for Financial Commissioner / Railways

No: 2010/RS(G)/363/1

New Delhi, dated: 5.7.2012

Copy to:

- 1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C).
- 2. The COS, Metro Railway, Kolkata.
- 3. The COS, COFMOW, New Delhi.
- The COS, CORE, Allahabad.
- The COS, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai-400614.
- The COS, Mumbai Rail Vikas Corporation, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai-400020.
- 7. CMM/RCF/RBL, Kishanganj, Delhi,
- 8. COS, Workshops Project Organisation, Patna
- 9. The Directors
 - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad.
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur.
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik.
 - d. Sr. Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara.
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune.
 - f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
- 10. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
- 11 Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata.
- 12. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow.
- 13. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
- 14. ED(QA)/RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon, Haryana.
- 15. CPM, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
- 16. GM(Procurement System), CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.

Sentorch Mitter

(Santosh Mittal)

Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I

Railway Board 🔏

No: 2010/RS(G)/363/1 New Delhi, dated: 5.7.2012

Copy to:

- 1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi.
- 2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
- 3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
- 4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
- 5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

(Santosh Mittal)

Dy. Dir. Rly. Stores(G)-l

Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to

- (i) MR, MOS(R)(B), MOS(R)(M)
- (ii) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
- (iii) All AMs and Advisors of Railway Board.
- (iv) All Executive Directors of Railway Board
- (v) All Directors of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte. &
- (vi) All Branches of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/आरएस (जी)/363/1

नई दिल्ली, दिनांक: 5.07.2012

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सिंहत । महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद। महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता। महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा। मृ.प्र.अ./कारखाना परियोजना संगठन, पहला तल, चेम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800 001. मृ.प्र.अ./डीजल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली। मृ.प्र.अ./आरसीएफ/आरबीएल, ओल्ड टीए बिल्डिंग, किशनगंज, दिल्ली। प्रबंध निदेशक/रेलवे के सभी पीएसयू, केआरसीएल, एमआरवीसी। मृ.प्र.अ./रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्तशासी संगठन।

विषयः केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं के लिए सार्वजिनक प्रापण नीति।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसाग्मईडी) अधिनियम 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के आदेश के तहत अपने मंत्रालयों, विभागों और सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित तथा प्रदान की गई/गए माल और सेवाओं की खरीद संबंधी सार्वजिनक प्रापण नीति अधिसूचित की गई है। भारत के राजपत्र में दिनांक 23.03.2012 को मुद्रित अधिसूचना सं. 503 की प्रति मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए संलग्न है।

- 1.1 सार्वजिनक प्रापण नीति में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाता है जिसमें स्पष्ट, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी प्रणाली के अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की सप्लाई के लिए ठोस प्रापण कार्यपद्धितयों और आदेशों का अनुपालन किया जाता है।
- 1.2 इस नीति में एमएसई के लिए कितपय लाभ/अधिमान्य ट्रीटमेंट प्रदान करने और उपयुक्त वेन्डरों के विकास के लिए प्रयास करने तथा सरकारी प्रापणों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इन लाभों और अधिमान्य ट्रीटमेंट स्वयं प्राप्त करने के उद्देश्य से एमएसई को निम्निलिखित में से किसी एक के पास पंजीकृत होना चाहिए:
 - (i) जिला औद्योगिक केन्द्र
 - (ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
 - (iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
 - (iv) कॉयर बोर्ड
 - (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
 - (vi) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय
 - (vii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य निकाय

- 2. एमएसई में सार्वजिनक प्रापण नीति के अनुसरण में यह विनिश्चय किया गया है कि:-
 - (i) निविदा की जाने वाली मद के लिए उक्त एजेंसियों के साथ पंजीकृत एमएसई को निविदा सैट नि:शुल्क मुहैया कराए जाएंगे।
 - (ii) उक्त एजेंसियों के पास पंजीकृत एमएसई को निविदा की जाने वाली मद के लिए अग्रिम धन के भुगतान से मुक्त रखा जाए।
 - (iii) निविदाओं में, भाग लेने वाले एमएसई, जिन्होंने एल 1 + 15% के प्राइज बैण्ड की सीमा के भीतर ही कीमत का उल्लेख किया होगा, को अपनी कीमत को एल 1 प्राइज तक कम करने पर ही मांग के एक हिस्से की सप्लाई की अनुमित मिलेगी, जहां एल 1 प्राइज किसी अन्य एमएसई से अलग होगा और ऐसे एमएसई कुल निविदा कीमत के 20% तक मिलकर आदेश दे सकते हैं।
 - (iv) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अथवा सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम वित्तीय वर्ष 2012-13 से और उसके आगे से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की तीन वर्ष की अविध में कुल वार्षिक खरीद और प्रदान की गई सेवाओं के न्यूनतम 20% के कुल प्रापण को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से प्रापण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तीन वर्ष की अविध अर्थात् 1.4.2015 के बाद न्यूनतम 20% का समग्र प्रापण लक्ष्य अनिवार्य होगा। प्रापण के वार्षिक लक्ष्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के सब-कांट्रेक्ट और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संघ शामिल हैं। वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के 20% में से 20% (अर्थात् कुल 4%) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से होंगे। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अथवा निविदा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एल 1 कीमत में इन एमएसई के असफल रहने की स्थिति में एससी/एसटी उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से निर्धारित प्रापण के 4% के उप लक्ष्य को अन्य एमएसई से पूरा किया जाएगा।
 - (v) मंत्रालय अथवा विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 मदों (अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट) का प्रापण जारी रखेंगे, जिन्हें केवल उन्हीं से खरीदे जाने के लिए ही आरक्षित किया गया है।
- 2.1 20% लक्ष्य की तुलना में कुल उपलब्धियों की गणना करते समय एमएसई से निम्नलिखित द्वारा किए गए प्रापण और सब-कांट्रेक्ट को भी गणना में शामिल किया जाएगा:-
 - (क) रेल इकाइयों के बड़े पैमाने के वेन्डर और
 - (ख) एमएआईसी द्वारा गठित एमएसई के संघ (रेल इकाइयों में वेन्डर के रूप में)
- 3. अर्हक एमएसई को लाभ/अधिमान्य ट्रीटमेंट देने के उद्देश्य से बोली दस्तावेज में उपयुक्त शर्तों को शामिल किया जाए जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:-
 - (क) "उक्त पैरा 2(i) से 2(iii) तक"
 - (ख) (I) वे एमएसई जो इन लाभों को स्वयं प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी एक के साथ एमएसई के रूप में पंजीकृत होने का साक्ष्य आमंत्रण के साथ प्रस्तुत करना होगा:-
 - (i) जिला औद्योगिक केन्द्र
 - (ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

STORES-RS (G)

- (iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- (iv) कॉयर बोर्ड
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- (vi) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय
- (vii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य निकाय
- (II) एमएसई अपने पंजीकरण की वैद्यता समाप्त होने की तारीख का भी उल्लेख करेंगे।

उपर्युक्त (I) और (II) के पूरा न होने की स्थिति में ऐसे प्रस्ताव दिनांक 23.03.2012 की भारत सरकार की एमएसई की अधिसूचना में दिए गए लाभों पर विचार किए जाने के दायी नहीं होंगे''।

- 4. इसके अलावा, एमएसई नीति द्वारा यथा वांछित अपेक्षित सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सभी वेंडर अनुमोदन करने वाली/पंजीकरण करने वाली इकाइयों को उनके द्वारा अनुमोदित/पंजीकृत वेंडरों से निम्नलिखित सूचना तत्काल मांगने के लिए और उनके डाटा बेस में समावेश किए जाने के लिए निर्देश दिया जाता है:-
 - (क) वेंडरों की श्रेणी जो नीचे दी गई है:-
 - (i) सक्ष्म उद्यम
 - (ii) लघु उद्यम
 - (ख) उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में भी उप-वर्गीकृत किया जाए:-
 - (i) अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले उद्यम
 - (ii) अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यम
 - (iii) उपर्युक्त दो श्रेणियों के अलावा अन्य के स्वामित्व वाले उद्यम
 - (ग) किसी वेन्डर को सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत होने के लिए उस वेन्डर को पैरा 1.2 में दर्शाई गई किसी एक एजेन्सी के पास पंजीकरण का एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और पंजीकरण की वैधता समाप्त होने की तिथि का भी उल्लेख करना होगा।
- 5. रेलें, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक आंकड़ों सिहत एमएसई से प्रापण के आंकड़े प्राप्त करके (एससी/एसटी के स्वामित्व वाली एमएसई से प्रापण की कीमत को पृथक रूप से दर्शाया जाए) इसे रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी। एमएससी से प्रापण की कीमत में एमएसई से प्राप्त प्रत्यक्ष खरीद और बड़े पैमाने के वैंडरों /एमएसई के संघ द्वारा दिए गए सब-कांट्रेक्ट को उनके एमएसई सब-कंट्रेक्टर शामिल हैं (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2.1 में दर्शाया गया है)।
- 6. इससे मूल्य अधिमान्य की मौजूदा नीति और लघु उद्योगों को दिए जा रहे लाभों का अधिक्रमण हो जाता है जिसका अभी तक अनुपालन किया जा रहा था।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमित से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

्रीन्तांध भित्तल (संतोष मित्तल) उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)-I रेलवे बोर्ड

STORES-RS (G)

नई दिल्ली, दिनांक: 5.07.2012

नई दिल्ली, दिनांक: 5.07.2012

प्रतिलिपि प्रेषित :

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/आरबीएल, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू।

- सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
- एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

31<u>शीक</u> कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2010/आरएस (जी)/363/1

प्रतिलिपि प्रेषित :

- 1. सी ओ एस/सभी भारतीय रेलें एवं पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित उत्पादन इकाइयां
- 2. सी ओ एस, मेट्रो रेल कोलकाता
- 3. सी ओ एस, कॉफमो, नई दिल्ली.
- 4. सी ओ एस, कोर, इलाहाबाद.
- 5. सी ओ एस, कोंकण रेल कॉपोरेशन लि., बेलापुर भवन, चौथा तल, सेक्टर-11, सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई.
- 6. सी ओ एस, मुंबई रेल विकास निगम, दूसरा तल, चर्च गेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई-400020.
- 7. सीएमएम/आरसीएफ/आरबीएल, किशनगंज, दिल्ली।
- 8. सीओएस, वर्कशॉप्स परियोजना संगठन, पटना।
- 9. निदेशक -
 - भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद.
 - भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर. ख.
 - भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधक) रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
 - भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे.
 - भारतीय रेल लॉजिस्टिक एवं सामग्री प्रबंधन संस्थान, आई डी ए हाउस, सेक्टर-4, आर के. पुरम, नई दिल्ली.
- 10. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चेन्नै.
- 11. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता.
- 12. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., मानक नगर, लखनऊ.
- 13. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ
- 14. कार्य निदे. (क्यू ए)/राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा.
- 15. सी पी एम, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
- 16. महाप्रबंधक (परियोजना)-V, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

सन्ताध शिनल (संतोष मित्तल) उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)-I रेलवे बोर्ड

STORES-RS (C)

HRA STURINGE Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, सोमबार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934

No. 503]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

क स्थान

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2012

का.आ. 581(अ).— क्योंकि, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने उत्पादों या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करेंगे;

और, प्रतिस्पर्धा के साथ सिद्धांतों, साधार उपापन व्यवहारों पर आधारित तथा किसी प्रणाली के अनुसरण में माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए, आदेशों के निष्पादन पर आधारित सार्वजनिक उपापन नीति, स्पष्ट, साम्यपूर्ण, पारदर्शी प्रतियोगी ओर मूल्य प्रमावी होगी; और

और सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति मजबूत अधिप्राप्ति व्यवहारों और आदेशों का पालन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के केंद्रीय सिद्धांतों और एक निष्पक्ष, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के क्रियान्वयन पर आधारित है;

और चूंकि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास सुकर बनाने करने के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर यथास्थिति, आदेश द्वारा अपने मंत्रालयों या विभागों, पब्लिक सेक्टर अधिमानी, या उसके सहायता प्राप्त संस्थानों और यथास्थिति, के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में अधिमानी नीतियों को अधिसूचित कर सकेगी।

अतः, अब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अपने मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में सार्वजनिक उपापन नीति (जिसे इसमें इसके पश्चात कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

1036 GI/2012

2. संविप्त नाम और आरंभ

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012' है ।
- (2) ये 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी।
- 3. सूक्ष्म और लघु उद्यम से आज्ञापन उपापन (1) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पिल्लिक सेक्टर के उपक्रम को वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके पश्चात से तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदों के न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन का एक वार्षिक लक्ष्य नियत करेगा।
- (2) उपापन के वार्षिक लक्ष्य के अंतर्गत बड़े उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम के संघ की उप-संविदाएं भी हैं।
- (3) तीन वर्षों की अवधि के पश्चात अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन लक्ष्य आज्ञापक होगा।
- (4) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जो वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं, को इस नीति के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष इसके उचित कारण सिद्ध करने होंगे।
- 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष उपबंध- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक उपापन के 20 प्रतिशत लक्ष्य में से, 20 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य (अर्थात 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिह्नित होंगे। परंतु, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में माग लेने या निविदा टेंडर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत का उपलक्ष्य अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।
- 5. वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्यों की रिपोर्टिंग (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम से सरकारी उपापन के आंकड़े इस नीति के सशक्तीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम से किए जाने वाले उपापन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उसमें की गई उपलब्धि की सूचना अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देगें।
- (2) वार्षिक रिपोर्टसूचना सूक्ष्म और लघु उद्यम विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या ब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रदान किया जा रहा समर्थन की बेहतर समझ में सुकर बनाएगा।
- 6. निविद्या में मूल्य कोटेशन (1) टेंडर में, सहभागी सृक्ष्म और लघु उद्यम जिसने एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर निविदा मूल्य उद्धत करेंगे उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को एल1 मूल्य

के स्तर पर लाकर एक भाग की आपूर्ति की अपेबाओं की अनुमति भी दी जाएगी और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति की अनुज्ञात होगी।

- (2) ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से बांटा (निविदा की गई मात्रा तक) जाएगा।
- 7. सूक्न और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास केंद्रीय मंत्रालय या विमाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और आवधिक आवश्यकताओं के संबंध में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ दर अनुबंध करते हुए उपयुक्त विक्रेता विक्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगें।
- 8. वेबसाइट पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए वार्षिक योजना मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रय के लिए वार्षिक उपापन योजना भी तैयार करेंगे और उसे अपने शासकीय वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यम उपापन अमिकरणों की अपेक्षाओं के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त कर सकें।
- 9. सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उधमों, की भागीवारी बढ़ाना सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों की भागीवारी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:
 - (क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विभागों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी।
 - (ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संघ निर्माण की उसकी योजनाओं के अधीन पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंग; और
 - (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने एकल बिंदु रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष खिड़की खोलेगा।
- 10. संध्यवहार लागत में कमी व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किसी लागत के बिना निविदा सेट उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-उपापन अपनाकर तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करके सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- 11. उपापन के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध-ख)का उपापन जारी रखेगा, जो उनसे

विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी, जो देश में समग्र विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- 12. पुनर्विलोकन समिति (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति की मानीटरी और पुनर्विलोकन के लिए सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अध्यक्षता के अधीन आदेश से 21(1)/2007-एमए तारीख 21 जून 2010 के द्वारा (उपाबंध) एक समिति गठित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समिति की संरचना में की जब और जैसे अपेक्षित हो, पुनर्विलोक / उपारिक्त करेगा।
- (2) यह सिमिति, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनवरत आघार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से अनन्य खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची पुनर्विलोकन करेगी, मामला-दर-मामला आघार पर 20 प्रतिशत लक्ष्य से छूट के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करेगी और नीति के अधीन उपलब्धियों की मानीटरी करेगी।
- 13. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना इसके अतिरिक्त, सरकारी उपापन में सूक्ष्म और लघु उद्यम की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक 'शिकायत प्रकोष्ठ' गठित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में संबंधित विभागों / एजेंसियों के सामने सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उठाए गए सरकारी उपापन संबंधी मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गतें सरकारी विभागों / एजेंसियों द्वारा निविदाओं में अनुचित शर्तों को लगाना भी है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम को अलामप्रदा स्थिति में रखते हैं।
- 14. एका उपापन के लिए विशेष प्रावधान (1) रक्षा मंत्रालय के लिए हेतु 20 प्रतिशत के लक्ष्य की गणना में रक्षा शस्त्रीकरण की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उनके आयात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों जैसे शस्त्र प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, आदि आरक्षण की ऐसी नीति के अधीन नहीं होगी।
- (2) नीति के अधीन नियत लक्ष्यों का मानीटरी जहां तक रक्षा सेक्टर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं उनके द्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाओं के अनुसरण की जाएगी।
- 15. किठनाई का निवारण उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई किसी किठनाई के संबंध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्रेस रिलीज के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जिसे पब्लिक डोमिन में रखा जाएगा।

· [फा.सं. 21(1)/2011-एमए]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त (सृक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अनुबध

सं. 21(1)/2007-एमए

and the first of the state of t

भारत सरकार

सुख्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)का कार्यालय

ए विंग, 7 वां तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 तारीख: 21 जून, 2010

आदश

विषयः सुक्ष्म और लघ् उद्यमों (सुक्ष्म और लघ् उद्यम) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति के अधीन समिति का गठन

सूक्ष्म और लघु जद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए नई सार्वजनिक उपापन नीति के लम्बित अनुमोदन के अनुसरण में चयनित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंध में प्रस्तावित नीति के कुछ उपबधों के लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

समिति की संरचना निग्नलिखित होगी:

(i) सचिव, सू. ल. और मृ. उद्यम मंत्रालय

: अध्यक्ष

(ii) सचिव, योजना आयोग

: सदस्य

(iii) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग

: सदस्य

(Iv) महानिदेशक (आपूर्ति और निपटान),

: सदस्य

वाणिज्य विभाग,

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(v) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त(सू. ल. म. उद्यम)

: सदस्य-सचिव

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी: 3.

- (i) मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत के लक्ष्य से छूट देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करना;
- (ii) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची (परिशिष्ट के अनुसार) की समीक्षा;
- (iii) सरकारी विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निकाली गई निविदाओं में अनुचित शर्तें लगाने सहित सरकारी उपापन के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा; और
- (iv) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम से की जाने वाले उपापनों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।
- 4. सिमिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के किन्हीं अन्य मंत्रालयों / विभागों को सिमिलित कर सकती है या बैठकों में किसी अन्य विशेषज्ञ / व्यक्ति, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित हो, को जब भी आवश्यक हो आमंत्रित कर सकती है।
- 5. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय इस समिति को सचिवीय समर्थन उपलब्ध करेगा।
- 6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रवीण महतो) अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार

दूरमाष: 23062230, फैक्स: 23061611

परिशिष्ट

हस्तरित्प क्षेत्र सहित लघ् उद्योग इकाइयाँ से खरीद के लिए आरक्षित मदाँ की सूची

क्रम सं. मद विवरण

- 1. ए ए स्ट्रिऔर ए सी एस आर कन्डक्टर 19 स्ट्रैंड तक
- 2. एग्रीकल्बरल इम्पलीमेंट्स
 - क. हस्तप्रचालित औजार और उपकरण
 - ख. पशुचालित उपकरण
- 3. एयर/रूम कूलर
- 4. एल्युमिनियम बिल्डर्स हार्डवेयर
- 5. एम्बुलेंस स्ट्रेचर
- 6. एममीटर्स / ओहम मीटर / वोल्ट मीटर(क्लास1 परिशुद्धता तक इलेक्ट्री मैग्नेटिक)
- 7. एंकलेट वेब खाकी
- 8. ऑगुर (कारपेंटर्स)
- 9. आटोमोबाइल हैड लाईट एसेम्बली
- 10.बैज क्लाथ कढ़ाई और मेटल के
- 11.लेवर, काटन, कैनवस और जूट इत्यादि के बने सभी प्रकार के बैग किट बैग, मेल बैग, स्लीपिंग बैग और वाटर प्रूफ बैग सहित
- 12.बैन्डेज क्लाथ
- 13.बारबेड वायर
- 14.बास्केट केन (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद की जा सकती है)
- 15.बाथ टब
- 16.बैटरी धार्जर
- 17.बैटरी एलीमिनेटर
- 18.बीम स्केल (1.5 टन तक)
- 19.बेल्ट लैंदर एंड स्ट्रैप्स
- 20.बैन्च वाइसिस
- 21.बिटुमिनीअस पेंटस
- 22.स्लोटिंग पेपर

- 23.बोल्ट्स एंड नटस
- 24.बोल्ट्स स्लाईडिंग
- 25.बोन मील
- 26.बूट पालिश
- 27.कैनवस जुतों सहित सभी प्रकार के बूटस एंड शूज
- 28.बाउल
- 29.लेदर बाक्स
- 30.मैटल के बने बाक्स
- 31.ब्रासिस
- 32.ब्राकेटस, रेलवे में प्रयुक्त के अलावा
- 33.ब्रास वायर
- 34.ब्रीफकेस (मोल्डेड लगेज के अलावा)
- 35.য়াজু
- 36.सभी प्रकार के ब्रश
- 37.सभी प्रकार की बाल्टियां
- 38.सभी प्रकार के बटन
- 39.कंडल वैक्स कैरिज
- 40.केन वाल्व/स्टोक वैल्वस (केवल वॉटर फिटिंग के लिए)
- 41.मैटालिक कैन (दूध और मापने के लिए)
- 42.केनवस प्रोडक्टस
 - (क) वाटर प्रूफ डेलिवर बैग, स्पे. नं. आई एस-1422/70
 - (ख) बोनट कवर और रेडियटर स्पे.ट्रे एल वी 7/ एन एस एन / आई ए / 130295
- 43.सूती और ऊनी कैप्स
- 44.वाटरग्रुफ कैप्स
- 45.केस्टर आयल
- 46.सीलिंग रोसिस 15 एम्पी तक
- 47.सेन्ट्रीफुगल स्टील प्लेट ब्लोवर्स
- 48.सेन्ट्रीफुगल पंप
- 49.चाफ कटर ब्लेड
- 50.चेन लाशिंग
- 51.चप्पल एंड सेंडिल
- 52.चामोइस लैदर
 - 53. चोक्स फोर लाईट फीटिंग
 - 54.क्रोम टैन्ड लैदर (सेमी-फिनिश्ड मैंस और गाय)
 - 55.सरक्लिप्स
 - 56.क्लॉ बार्स एंड वायर्स
 - 57.क्लीनिंग पाउडर
 - 58.क्लीनिकल धर्मौभीटर्स
 - 59.क्लाथ कवर्स

- 60.क्लाथ जाकोनट
- 61.क्लाथ स्पोन्ज
- 62. कॅयर फाइबर एंड कॅयर यार्न
- 63.कॅयर मैटरैस कुशन्स एंड मैटिंग
- 64.कॅयर रोप हॅसरलेड
- 65.कम्युनिटी रेडियो रिसीवर
- 66.,कन्डुट पाईप्स
- 67.कॉपर नेल
- 68.कॉपर नैपथीनेट
- 69.कॉपर सलफेट
- 70.कॉर्ड टवीन मेकर
- 71.कॉरडेज अदर्स
- 72.कोरूगेटिड पेपर बोर्ड एंड बाक्स
- 73.कॉटन एक्सोरबेंट
- 74.कॉटन बेल्टस
- 75.कॉटन कैरियर्स
- 76.कॉटन केसिस
- 77.कॉटन कार्ड टवीन
- 78.कॉटन हौजरी
- 79.कॉटन पैक्स
- 80.कॉटन पाउच
- 81.कॉटन रोप
- 82.कॉटन सिंगलेट
- 83.कॉटन स्लींग
- 84.कॉटन स्ट्रैप्स
- 85.कॉटन टैप्स एंड लेसिस
- 86.कॉटन वूल (नॉन एब्जाबैंट)
- 87.क्रेट वुडन एंड प्लास्टिक
- 88.(क)क्रूसीबल्स 200 नं. तक (ख)क्रूसीबल्स ग्रेफाईट 500 नं. तक (ग)अन्य क्रूसीबल्स 30 कि.ग्रा.तक
- 89.कम्बल एंड रजाईयां
- 90.करटेन्स मोसकीटो
- 91.कटर्स
- 92.डीबूटी फिथालेट
- 93.डीजल इंजन 15 एच पी तक
- 94.डाइमेथाइल फिथालेट
- 95. डिसइंफैक्टैन्ट फलूड
- 96.डिस्ट्रीब्यूटिशन बोर्ड 15 एम्पी तक

97.घरेलू बिजली के उपकरण (बीआईएस मानकों के अनुसार)- बिजली का टोस्टर,प्रैस, हॉट प्लेटस, मिक्सर ग्राइंडर रूम हीटर, कनवैक्टर्स एंड ओवन

98.घरेलू पी वी सी केंबल्स एंड वायर्स (अल्यूमिनियम)
निर्धारित बीआईएस मानकों के अनुरूप और 10.00 एमएम स्क्वायर नॉमिनल क्रास सेक्शन तक

99. ड्राईंग एंड मैथमैटिकल्स इंन्स्ट्रूमेंटस

100. ड्रम्स एंड बैरल

101. डस्ट बिन

102. डस्ट शील्ड लैदर

103. सभी प्रकार के कॉटन डस्टर, खादी में आवश्यक मदों को छोड़कर

104. डाईज (क)एजो डाई(डायरैक्ट और एसिड) (ख) बेसिक डाई

105. बिजली की कॉल बैल / बजर / डोर बैल

106. इलैक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन

107. इलैक्ट्रिक ट्रांसमीशन लाईन हार्डवेयर मदें जैसे कि स्टील क्रांस बार्स, क्रांस आर्म्स क्लैम्पस आर्चिंग हार्न, ब्रैकेट्स, आद

108. इलैक्ट्रोनिक डोर बैल

109. एमरजेंसी लाईट (रिघार्ज होने वाली)

110. इनेमल वायर्स और इनेभल यूटेंसिल

111. इक्यूपमेंट कैमूक्लेज यम्बू सपोर्ट

112. एक्जास्ट मफलर

113. एक्सपेंडिड मेटल

114. आईलेट्स

115. फिल्म पॉलीथीन-वाइड विड्थ फिल्म सहित

116. फिल्म स्पूल्स एंड कैन्स

117. अग्नि शामक (बाल टाइप)

118. फूट पाउडर

119. फ्रैन्च पॉलिश

120. फानैल्स

121. फयूज कट आउट

122. फ्यूज यूनिट

123. गारमेंटस (इंडियन आर्डनेन्स फैक्टरियों की आपूर्ति को छोड़कर)

124. गैस मेन्टल

125. गाउज क्लाथ

126. सभी प्रकार के गाउज सरजीकल

127. गामेल्स (तसला)

128. ग्लास एम्पुल्स

129. ग्लास एंड प्रेस्ड वेयर

[भाग !!—खण्ड 3	(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
130.	ग्लू
131.	ग्रीस निप्पल्स एंड ग्रीस गन्स
132.	गन केसिस
133.	गन मेटल बुश
134.	गमटेप
135.	सभी प्रकार के हैंड ड्रॉन कार्ट्स
136.	सभी प्रकार के हैंड ग्लब्स
137.	हैंड लैम्प्स रेलवे
138.	हैंड नम्बरिंग मशीन
139.	हैंड पाउंडिड राईस (पॉलिश और बिना पॉलिश किए हुए)
140.	हैंड प्रेसेस
141.	हैंड पम्प
142.	सभी प्रकार के हैंड टूल्स
143.	हैंडल वुडन एंड बैम्बू (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी
अधिप्र	ाप्ति की जा सकती है)
144.	हारनेस लैदर
145.	हस्पस एंड स्टैप्लस
146.	हैवर सैक्स
147.	हेलमेट नॉन-मेटालिक
148.	सभी प्रकार के हाईड एंड कंट्री लैंदर
149.	हिंग्स -
150.	हॉय नेल्स
151.	होल्डाल
152.	हनी
153.	हॉर्स एंड मूल शूज
154.	हाइड्रोलिक जैक्स 30 टन कैपिसिटी से कम
155.	इंसैक्टीसाईड डस्ट एंड स्पेयर्स(केवल मैनुअल)
156.	इनवैलिड व्हील चेयर
157.	घरेलू प्रकार के इंवर्टर 5 के वी ए तक
158.	इस्त्री (धोबी)
159.	की-बोर्ड वुडन
160.	किट बाक्स
161.	कोदाली
162.	लेस लैंदर
163.	लैम्प होल्डर
164.	लैम्प सिंग्नल
165.	लालटेन पोस्ट एंड बॉडीज
166.	लैनयार्ड

लेटेक्स फोम स्पंज

167.

169. लैटर बाक्स

170. लाईटिंग अरेस्टर 22 के वी तक

171. लिंक क्लिप

172. लिनसीड आयल

173. लिंट प्लेन

174. लॉकर्स

175. लुब्रीकेटर्स

176. एल टी पोरसीलेन किटकेट एंड फयूज ग्रिप

177. मशीन स्क्रूय्स

178. मैग्निशियम सल्फेट

179. मैलेट वूडन

180. मैनहोल कवर्स

181. मेज़रिंग टेप्स एवं स्टिक्स

182. मैटलक्लैंड स्विचिज (30 एम्पलीफायर्स तक)

183. मैटल पोलिश

184. मैटालिक कन्टेनर्स एंड ड्रम्स अदरदैन एन बी सी (नोट एल्सवियर क्लासिफाईड)

185. मीट्रिक व्हेट्स

186. माइक्रोस्कोप फोर नोर्मल मैडीकल यूज

187. मिनिएचर ब्लब्स (फोर टार्चिज़ ओनली)

188. एम.एस. टाई बार्स

189. नेल कटर्स

190. नेष्यलिन बाल्स

191. नीवाड

192. निक्कल सल्फेट

193. नाइलॉन स्टॉकिंग

194. नाइलॉन टेप्स एंड लेसिज

195. आयल बाउंड डिस्पेम्पर

196. आयल स्टोब्स (विक स्टोब्स ओनली)

197. पैड लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स

198. पेंट रिमूवर

199. पाल्मा रोज़ा आयल

200. पॉमगुर

201. पैन्स लेवोटरी फ्लश

202. पेपर कन्वर्जन प्रोडक्टस, पेपर बैग्स, एनवलप्स, आइसक्रीम कप, पेपर कप एंड सोसर्स एंड पेपर प्लेट्स

203. पेपर टेप्स (गम्ड)

204. पापड

205. पिकल्स एंड घटनी

206. पाइल्स फैबरिक

207. पिल्ली

208. प्लास्टर ऑफ पेरिस

- 209. प्लास्टर ब्ली मोल्डिङ कन्टेनर्स **अप दू 20 लिटर** एक्सक्लूडिंग पोलि इथलिन टर्फथलेट (पी ई टी) कन्टेनर्स
- 210. प्लास्टिक केन
- 211. प्लेईंग कार्डस
- 212. प्लग एंड सॉकेट इलैक्ट्रिक अप टू 15 एम्पलीफायर
- 213. पोलिथिन बैग्स
- 214. पोलिथिन पाईप्स
- 215. पोस्ट पिकेट (वृडन)
- 216. पोस्टल लैंड सील्स
- 217. पोटेसियम नाईट्रेट
- 218. पाऊच
- 219. प्रेशर डाई कास्टिंग अप टू 0.75 किलोग्राम
- 220. प्रिवी पैन्स
- 221. पुल्ली वायर
- 222. पी वी सी फुटवियर
- 223. पी वी सी पाइप्स अपदू 110 मि.मी.
- 224. पीवीसी इंशुलेटिड एल्युमिनियम केबल्स (120 स्केयर मि.मी. तक) (आई एस एस: 694)
- 225. क्विल्ट्स, रज़ाई
- 226. रैग्स
- 227. रेलवे कैरिज लाईट फिटिंग्स
- 228. रेक्स ब्लॉस्ट
- 229. रेज्र
- 230. आरसीसी पाईप अपटू 1200 मि.मी. डाया
- 231. आर सी सी पोल्स ग्रिस्ट्रेस्ड
- 232. रिवेट ऑफ ऑल टाईप्स
- 233. रोलिंग शटर्स
- 234. रूफ लाईट फिटिंग
- **235. रबड़ बैलून**
- 236. रबड कोर्ड
- 237. रवड होसिस (अनब्रांडिड)
- 238. रबड़ टयूबिंग (एक्सक्ल्यूडिंग ब्रेडिड टयूबिंग)
- 239. रबराईज्ड गारमेंट कैप एंड कैप्स, एट.
- 240. रस्ट/स्केल रिमूर्विंग कम्पोजिशन
- 241. सेफ मीट एंड मिल्क
- 242. सेफ्टी मैचिज
- 243. सेफ्टी पिन्स(एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट लाईक पेपर पिन्स, स्टेपल्स पिन्सए एट.
- 244. सैनेटरी प्लम्बिंग फिटिंग
- 245. सैनेटरी टावल्स
- 246. साइन्टीफिक लेवोरेटरी ग्लास वियर (बारिंग साफीस्टिकेटिड आइटम)
- 247. सिजर कटिंग (आर्डिनरी)
- 248. स्कूळा ऑफ ऑल टाइप इन्कलुडिंग हाई टेन्साईल

330

- 249. शीप स्किन आल टाइप
- 250. शेलक
- 251. शू लेसिज़
- 252. शावेल्स
- 253. साइन बोर्ड पेन्टिड
- 254. सिल्क रिबन
- 255. सिल्क वैविंग
- 256. स्काईबृटस एंड शूज
- 257. स्लयुज वाल्वज
- 258. स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
- 259. सोप कार्बेलिक
- 260. सोप कर्ड
- 261. सोप लिक्विड
- 262. सोप साफ्ट
- 263. सोप वाशिंग ओर लॉन्डरी सोप
- 264. सोप येल्लो
- 265. सॉकेट/पाइप
- 266. सोडियम नाइट्रेट
- 267. सोडियम सिलिकेट
- 268. सोल लैदर
- 269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स
- 270. स्पाईक्ड यूट
- 271. स्पोर्टस शूज मेड आउट ऑफ लैंदर (फोर आल स्पोर्टस गेम्स)
- 272. स्कर्वल केंज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्कलूडिंग`100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस
- 273. स्टेपलिंग मशीन
- 274. स्टील अलिभरा
- 275. स्टील **बैड** स्टैड
- 276. स्टील चेयर
- **277.** स्टील डैस्क
- 278. स्टील रैक्स/शैल्फ
- 279. स्टील स्टूल्स
- 280. स्टील ट्रंक
- 281. स्टील वूल
- 282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वैंटिलेटर
- 283. स्टाकिनेट
- 284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर
- 285. स्टोन वियर जार
- 286. स्ट्रैंडिड यायर
- 287. स्ट्रीट लाइट फिटिंग
- 288. स्टूडेंट माइक्रोस्कोप
- 289. स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैंसाइल)

- 249. शीप स्किन आल टाइप
- 250. शेलक
- 251. शू लेसिज़
- 252. शावेल्स
- 253. साइन बोर्ड पेन्टिङ
- 254. सिल्क रिबन
- 255. सिल्क वैविंग
- 256. रकाईबूटस एंड शूज
- 257. स्लयूज वाल्वज
- 258. स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
- 259. सोप कार्बोलिक
- 260. सोप कर्ड
- 261. सोप लिक्विड
- 262. सोप साफ्ट
- 263. सोप वाशिंग ओर लॉन्डरी सोप
- 264. सोप येल्लो
- 265. सॉकेट/पाइप
- 266. सोडियम नाइट्रेट
- 267. सोडियम सिलिकेट
- 268. सोल लैदर
- 269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स
- 270. स्पाईक्ड बूट
- 271. स्पोर्टस शूज मेड आउट ऑफ लैंदर (फोर आल स्पोर्टस गेम्स)
- 272. स्कर्वल केंज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्कलूडिंग 100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस
- 273. स्टेपलिंग मशीन
- 274. स्टील अलिगरा
- 275. स्टील बैड स्टैड
- 276. स्टील चेयर
- 277. स्टील डैस्क
- 278. स्टील रैक्स/शैल्फ
- 279. स्टील स्टूल्स
- 280. स्टील ट्रंक
- 281. स्टील वूल
- 282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वैंटिलेटर
- 283. स्टाकिनेट
- 284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर
- 285. स्टोन वियर जार
- 286. स्ट्रैंडिड दायर
- 287. स्ट्रीट लाइट फिटिंग
- 288. स्टूडेंट माइक्रोस्कोप
- 289. स्टड (एक्सक्लूर्डिंग हाई टैंसाइल)

- 290. सर्जिकल ग्लोब्स (एक्सैप्ट प्लास्टिक)
- 291. टेबल नाइव्स (एक्सक्लूडिंग कटलरी)
- 292. टेक मैटलिक
- 293. ਟੈਪਜ
- 294. तारपोलिन
- 295. टीक फैब्रेकेटिड राउंड ब्लॉक्स
- 296. टैन्ट पोल्स
- 297. टैन्टेज सिविल / मिलिट्री एंड सेलिताह जूट फोर टैन्टेज
- 298. टैक्सटाइल मैन्युफैक्चर्रस अदर दैन एन. ई. सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
- 299. टाइल्स
- 300. टिन बॉक्सिज फोर पोस्टेज स्टैम्प
- 301. टिन केन अनप्रिंटिड अप टू 4 गैलन कैपेसिटी (अदर दैन केन ओ.टी.एस.)
- 302. टिन मैस
- 303. टिप बूटस
- 304. टोग्गल स्विचज
- 305. टायलेट रोल्स
- 306. द्रांस्फार्मर टाइप वैल्डिंग सैटस कंफोरमिंग दू आई एस: 1291/75 (अप दू 600 एम्पलीफायर)
- 307. ट्रांजिस्टर रेडियो अप टू 3 बैंड
- 308. ट्रांजिस्ट्राईज्ड इसुलेशन-टेस्टर
- 309. ट्रेज
- 310. ट्रे फोर पोस्टल युज
- 311. ट्रॉलि
- 312. ट्रालि-ड्रिकिंग वाटर
- 313. टयुबलर पोल्स
- 314. टायर एंड टयूब (साइकिल)
- 315. अम्ब्रेला
- 316. यूटैंसिल ऑल टाइप्स
- 317. वाल्व मैटलिक
- 318. वार्निश ब्लॅक जापान
- 319. वोल्टेज स्टैबलाइजर इन्कलूडिंग सी.वी.टी.
- 320. वाशर आल टाइप्स
- 321. वाटर प्रूफ कवर
- 322. वाटर प्रूफ पेपर
- 323. वाटर टैंक अप टू 15,000 लिटर कैपेसिटी
- 324. वैक्स सीलिंग
- 325. दैक्सड पेपर
- 326. वेईंग स्केल
- 327. वैल्डिड वायरमाश
- 328. व्हील बारोस
- 329. विसल
- 330. विक्स कोटन

	THE GAZETTE	OF INDIA : EXTRAORDINART	[PARI 115EC, 5(11)]				
331.	विंग शील्ड वाइपर (आर्मस एंड	ब्लेडस ओनली)					
	वायर ब्रसिज एंड फाइबर ब्रसिज		PS				
	वायर फेन्सिंग एंड फिटिंग	•					
	वायर नेल्स एंड होर्स शू नेल्स						
	वायर नेटिंग्स ऑफ गौज थिकर	दैन 100 मेश साईज					
	वूड वूल						
	वूडन एम्युनिशन बॉक्सीज						
	वूडन बोर्डस		•				
	वूडन बॉक्स फोर स्टैम्पस						
	वुडन बॉक्सीज एंड केसिज एन.ई.सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)						
	वुडन चेयर्स						
	वुडन फ्लश डोर शटर्स						
	वुडन पैकिंग केसिज आल साई	जिज					
	वूडन पिन्स						
	वुडन प्लग्स						
346.	वुडन शैल्वज						
	वूडन देनियर्स		•				
348.	वूलन होजरी						
349.	जिंक सल्फेट		ľ				
350.	जिप फास्टनर						
- Salasas	201117-1-1217						
	आयटम्स						
क्रम स 351.	. वस्तु विवरण केन फर्नीचर	आपूर्ति का श्रोत नोर्थ ईरटर्न उँडीक्राफट एंड हैंडलूम डेवल असम गवर्नमेंट मार्किटिंग कोरपोरेशन का मणिपुर नागालॅंड हैंडीक्राफट एंड हैंडलूम डेवलपमे	फट सोसाइटी ऑफ				
352.	बेम्बू फाइल ट्रे, बास्केट, पैंसिल						
	स्टेंड, साईड रैक एट.	-वही-					
353.	आर्टिस्टिक वूडन फर्नीचर	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन, उत्	तर प्रदेश				
		एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन					
354.	वूडन पेपर वेट, रैक्स एट.						
-	.	-वही-					
355.	ग्लास कवर्स मेड ऑफ वूड एंड	-वही-					
356.	ग्रास जूट सन्दर्भाषा	<u> </u>					
JUO.	जूट फनीधर	वैस्ट बंगाल हैंडीक्राफट डेवलेपमेंट कोरपोरे	शन				

जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलेपमैंट कोरपोरेशन उड़ीसा स्टेट हैंडीक्राफ्टस डेवलपमैंट कोरपोरेशन

यू पी एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन जे एंड के सेल एंड एक्सपोर्ट कोरपोरेशन

जूट बैग्स, फाइल कवर वूलन एंड सिल्क कारपेटस

357.

358.

26

Ç

MINISTRY OF MICRO, SMALLAND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 23rd March, 2012

ORDER

S.O. 581(E).—Whereas, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall procure minimum of 20 per cent of their annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy shall apply to Micro and Small Enterprises registered with District Industries Centers or Khadi and Village Industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicrafts and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises:

And whereas, the Public Procurement Policy rests upon core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective; and

And whereas, for facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government, as the case may be, by Order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or Departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred in section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notifies the Public Procurement Policy (hereinafter referred to as the Policy) in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings.

- 2. Short title and commencement. -
 - (1) This Order is titled as 'Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012'.
 - (2) It shall come into force with effect from 1st April 2012.
- 3. Mandatory procurement from Micro Small and Enterprises. –(1) Every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 per cent, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years.

- (2) Annual goal of procurement also include subcontracts to Micro and Small Enterprises by large enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation.
- (3) After a period of three years i.e. from 1st April 2015, overall procurement goal of minimum of 20 per cent shall be made mandatory.
- (4) The Central Ministries, Departments and Public Sector Undertakings which fail to meet the annual goal shall substantiate with reasons to the Review Committee headed by Secretary (Micro, Small and Medium Enterprises), constituted in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, under this Policy.
- 4. Special provisions for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes. % Out of 20 per cent target of annual procurement from Micro and Small Enterprises, a sub-target of 20 per cent (i.e., 4 per cent out of 20 per cent) shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe entrepreneurs. Provided that, in event of failure of such Micro and Small Enterprises to participate in tender process or meet tender requirements and L1 price, 4 per cent sub-target for procurement earmarked for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Caste or Scheduled Tribe entrepreneurs shall be met from other Micro and Small Enterprises.
- 5. Reporting of targets in Annual Report. %(1) The data on Government procurements from Micro and Small Enterprises is vital for strengthening the Policy and for this purpose, every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall report goals set with respect to procurement to be met from Micro and Small Enterprises and achievement made thereto in their respective Annual Reports.
- (2) The annual reporting shall facilitate in better understanding of support being provided by different Ministries or Departments or Public Sector Undertakings to Micro and Small Enterprises.
- 6. Price quotation in tenders. % (1) In tender, participating Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 per cent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprise and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply up to 20 per cent of total tendered value.
- (2) In case of more than one such Micro and Small Enterprise, the supply shall be shared proportionately (to tendered quantity).
- 7. Developing Micro and Small Enterprise vendors.

 The Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall take necessary steps to develop appropriate vendors by organizing Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets and entering into Rate

1036 GI/12-3

Contract with Micro and Small Enterprises for a specified period in respect of periodic requirements.

- 8. Annual Plan for Procurement from Micro and Small Enterprises on websites. The Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall also prepare Annual Procurement Plan for purchases and upload the same on their official website so that Micro and Small Enterprises may get advance information about requirement of procurement agencies.
- 9. Enhancing participations of Micro and Small Enterprises including those owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurements. % For enhancing participation of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurement, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall take following steps, namely:-
 - (a) Special Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets shall be conducted by Departments/Public Sector Undertakings for Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - (b) Outreach programmes shall be conducted by National Small Industries Corporation to cover more and more Micro and Small Enterprises from Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its schemes of consortia formation; and
 - (c) National Small Industries Corporation shall open a special window for Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its Single Point Registration Scheme (SPRS).

10. Reduction in transaction cost. % To reduce transaction cost of doing business. Micro and Small Enterprises shall be facilitated by providing them tender sets free of cost, exempting Micro and Small Enterprises from payment of earnest money, adopting e-procurement to bring in transparency in tendering process and setting up a Grievance Cell in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

11. Reservation of specific items for procurement. % To enable wider dispersal of enterprises in the country, particularly in rural areas, the Central Government Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall continue to procure 358 items (Appendix) from Micro and Small Enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them. This will help in promotion and growth of Micro and Small Enterprises, including Khadi and village industries, which play a critical role in fostering inclusive growth in the country.

12. Review Committee. (1) A Review Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, for

monitoring and review of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises vide Order No. 21(1)/2007-MA dated the 21st June 2010 (Annexure).

- (2) This Committee shall, inter alia, review list of 358 items reserved for exclusive purchase from Micro and Small Enterprises on a continuous basis, consider requests of the Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings for exemption from 20 per cent target on a case to case basis and monitor achievements under the Policy.
- 13. Setting up of Grievance Cell. % In addition, a 'Grievance Cell' will be set up in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for redressing grievances of Micro and Small Enterprises in Government procurement. This cell shall take up issues related to Government procurement raised by Micro and Small Enterprises with Departments or agencies concerned, including imposition of unreasonable conditions in tenders floated by Government Departments or agencies that put Micro and Small Enterprises at a disadvantage.
- 14. Special Provisions for Defence Procurements. % Given their unique nature, defence armament imports shall not be included in computing 20 per cent goal for Ministry of Defence. In addition, defence equipments like weapon systems, missiles, etc. shall remain out of purview of such Policy of reservation.
- 15. Monitoring of Goals. % The monitoring of goals set under the Policy shall be done, in so far as they relate to the Defence sector, by Ministry of Defence itself in accordance with suitable procedures to be established by them.

16. Removal of difficulty. % Any difficulties experienced during the course of implementation of the above Policy shall be clarified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises through suitable Press releases which would be kept on the public domain.

[F.No. 21(1)/2011-MA]

AMARENDRA SINHA, Additional Secretary and
Development Commissioner (MSME)

ANNEXURE

No. 21(1)/2007-MA
Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner (MSME)

'A' Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan,

New Delhi-110108

Dated: 21st June, 2010

ORDER

Subject: Constitution of a Committee for monitoring and

review of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises

(对在环境、中)

Pending approval of the new Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs), a Committee is hereby constituted for looking into the applicability of some of the provisions of the proposed Policy in respect of select Central Ministries/Departments. The Committee will be chaired by the Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

- 2 The composition of the Committee will be as follows:
 - (i) Secretary, Ministry of

: Chairman

Ministry of MSME

(ii) Secretary,

: Member

Planning Commission

(iv) Secretary,

: Member

Department of Public Enterprises

(v) Director General (Supplies and Disposals), : Member

Department of Commerce,

- (vii) Ministry of Commerce and Industry
- (viii) Additional Secretary and : Member Secretary

 Development

 Commissioner (MSME)
- 3. The Committee will undertake the following functions:
 - (i) Consider the requests of the Central Ministries/ Departments/PSUs for exemption, on a case to case basis, from the 20% target;
 - (ii) Review the list of 358 items (as per Appendix) reserved for exclusive purchase from the MSEs based on the feedback received from the Central Ministries/Departments/PSUs:
 - (iii) Review the grievances received from MSEs regarding Government procurement, including imposition of unreasonable conditions in the tenders floated by the Government Departments/PSUs; and
 - (iv) Suggest special measures to be taken by the Central Ministries/Departments for enhancing their procurements from MSEs.
- 4. The Committee may co-opt any other Ministries/ Departments of the Central Government as well as State Governments or invite any other expert/person associated/ concerned with the MSMEs in its meetings, as and when required.
- 5. The Office of the Development Commissioner (MSME) will provide secretariat support to this Committee.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

84

(Pravecn Mahto)

Additional Economic Adviser Ph: 23062230, Fax: 23061611

APPENDIX

LIST OF ITEMS RESERVED FOR PURCHASE FROM SMALL SCALE INDUSTRIAL UNITS INCLUDING HANDICRAFT SECTOR.

SINo. Item Description

- 1. AAC/and ACSR Conductor upto 19 strands
- 2. Agricultural Implements
 - (a) Hand Operated tools and implements
 - (b) Animal driven implements
- 3. Air/Room Coolers
- 4. Aluminum builder's hardware
- 5. Ambulance stretcher
- 6. Ammeters/ohm meter/Volt meter (Electro magnetic upto Class I accuracy)
- 7. Anklets Web Khaki
- 8. Augur (Carpenters)
- 9. Automobile Head lights Assembly
- 19. Badges cloth embroidered and metals
- 11. Bags of all types i.e. made of leather, cotton, canvas and jute etc. including kit bags, mail bags, sleeping bags and water-proof bag.
- 12. Bandage cloth
- 13. Barbed Wire
- 14. Basket cane (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)
- 15. Bath tubs
- 16. Battery Charger
- 17. Battery Eliminator
- 18. Beam Scales (upto 1.5 tons)
- 19. Belt leather and straps
- 20. Bench Vices
- 21. Bituminous Paints
- 22. Blotting Paper

- 23. Bolts and Nuts
- 24. Bolts Sliding
- 25. Bone Meal
- 26. Boot Polish
- 27. Boots and Shoes of all types including canvas shoes

:1.3

- 28. Bowls
- 29. Boxes Leather
- 30. Boxes made of metal
- 31. Braces
- 32. Brackets other than those used in Railways
- 33. Brass Wire
- 34. Brief Cases (other than moulded luggage)
- 35. Brooms
- 36. Brushes of all types
- 37. Buckets of all types
- 38. Button of all types
- 39. Candle Wax Carriage
- 40. Cane Valves/stock valves (for water fittings only)
- 41. Cans metallic (for milk and measuring)
- 42. Canvas Products:
 - (a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS 1422/
 - (b) Bonnet Covers and Radiators Muff. to spec. Drg. Lv 7/NSN/IA/130295
- 43. Capes Cotton and Woollen
- 44. Capes Waterproof
- 45. Castor Oil
- 46. Ceiling roses upto 15 amps
- 47. Centrifugal steel plate blowers
- 48. Centrifugal Pumps suction and delivery 150 mm. x 150 mm
- 49. Chaff Cutter Blade
- 50. Chains lashing
- 51. Chappals and sandals
- 52. Chamois Leather
- 53. Chokes for light fitting
- 54. Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffaio and Cow)
- 55. Circlips
- 56. Claw Bars and Wires
- 57. Cleaning Powder
- 58. Clinical Thermometers
- 59. Cloth Covers
- 60. Cloth Jaconet
- 61. Cloth Sponge

- 52. Coir fibre and Coir yarn
- 63. Coir mattress cushions and matting
- 64. Coir Rope hawserlaid
- 65. Community Radio Receivers
- 66. Conduit pipes
- 67. Copper nail
- 68. Copper Napthenate
- 69. Copper sulphate
- 70. Cord Twine Maker
- 71. Cordage Others
- 72. Corrugated Paper Board and Boxes
- 73. Cotton Absorbent
- 74. Cotton Belts
- 75. Cotton Carriers
- 76. Cotton Cases
- 77. Cotton Cord Twine
- 78. Cotton Hosiery
- 79. Cotton Packs
- 80. Cotton Pouches
- 81. Cotton Ropes
- 82. Cotton Singlets
- 83. Cotton Sling
- 84. Cotton Straps
- 85. Cotton tapes and laces
- 86. Cotton Wool (Non absorbent)
- 87. Crates Wooden and plastic
- 88. (a) Crucibles upto No. 200
 - (b) Crucibles Graphite upto No. 500
 - (c) Other Crucibles upto 30 kgs.
- 89. Cumblies and blankets
- 90. Curtains mosquito
- 91. Cutters
- 92. Dibutyl phthalate
- 93. Diesel engines upto 15 H.P
- 94. Dimethyl Phthalate
- 95. Disinfectant Fluids
- 96. Distribution Board upto 15 amps
- 97. Domestic Electric appliances as per B1S Specifications:-
- Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer. Grinders, Room heaters and convectors and ovens
 - 98. Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminum) Conforming to the prescribed BIS Specifications and upto 10.00 mm sq. nominal cross section
 - 99. Drawing and Mathematical Instruments

- 100. Drums and Barrels
- 101. Dust Bins
- 102. Dust Shield leather
- 103. Dusters Cotton all types except the items required in Khadi
- 104. Dyes:
- (a) Azo Dyes (Direct and Acid)
- (b) Basic Dyes
- 105. Electric Call bells/buzzers/door bells
- 106. Electric Soldering Iron
- 107. Electric Transmission Line Hardware items like steel cross bars, cross arms clamps arching horn, brackets, etc
- 108. Electronic door bell
- 109. Emergency Light (Rechargeable type)
- 110. Enamel Wares and Enamel Utensils
- 111. Equipment camouflage Bamboo support
- 112. Exhaust Muffler
- 113. Expanded Metal
- 114. Eyelets
- 115. Film Polythene including wide width film
- 116. Film spools and cans
- 117. Fire Extinguishers (wall type)
- 118. Foot Powder
- 119. French polish
- 120. Funnels
- 121. Fuse Cut outs
- 122. Fuse Unit
- i23. Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories)
- 124. Gas mantels
- 125. Gauze cloth
- 126. Gauze surgical all types
- 127. Ghamellas (Tasilas)
- 128. Glass Ampules
- 129. Glass and Pressed Wares
- 130. Glue
- 131. Grease Nipples and Grease guns
- 132. Gun cases
- 133. Gun Metal Bushes
- 134. Gumtape

v

- 135. Hand drawn carts of all types
- 136. Hand gloves of all types
- 137. Hand Lamps Railways
- 138. Hand numbering machine

- 139. Hand pounded Rice (polished and unpolished)
- 140. Hand presses
- 141. Hand Pump
- 142. Hand Tools of all types
- 143. Handles wooden and bamboo (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handlerafts Corporation)
- 144. Harness Leather
- 145. Hasps and Staples
- 146. Haver Sacks
- 147. Helmet Non-Metallic
- 148. Hide and country leather of all types
- 149. Hinges
- 150. Hob nails
- 151. Holdali
- 152. Honey
- 153. Horse and Mule Shoes
- 154. Hydraulic Jacks below 30 ton capacity
- 155. Insecticides Dust and Sprayers (Manual only)
- 156. Invalid wheeled chairs.
- 157. Invertor domestic type upto 5 KVA
- 158. Iron (dhobi)
- 159. Key board wooden
- 160. Kit Boxes
- 161. Kodali
- 162. Lace leather
- 163. Lamp holders
- 164. Lamp signal
- 165. Lanterns Posts and bodies
- 166. Lanyard
- 167. Latex foam sponge
- 168. Lathies
- 169. Letter Boxes
- 170. Lighting Arresters upto 22 kv
- 171. Link Clip
- 172. Linseed Oil
- 173. Lint Plain
- 174. Lockers
- 175. Lubricators
- 176. L.T. Porcelain KITKAT and Fuse Grips
- 177. Machine Screws
- 178. Magnesium Sulphate
- 179. Mallet Wooden
- 180. Manhole covers
- 181. Measuring Tapes and Sticks

- 182. Metal clad switches (upto 30 Amps)
- 183. Metal Polish
- 184. Metallic containers and drums other than N.E.C. (Not elsewhere classified)
- 185. Metric weights
- 186. Microscope for normal medical use
- 187. Miniature bulbs (for torches only)
- 188. M.S. Tie Bars
- 189. Nail Cutters
- 190. Naphthalene Balls
- 191. Newar
- 192. Nickel Sulphate
- 193. Nylon Stocking
- 194. Nylon Tapes and Laces
- 195. Oil Bound Distemper
- 196. Oil Stoves (Wick stoves only)
- 197. Pad locks of all types
- 198. Paint remover
- 199. Palma Rosa Oil
- 200. Palmgur
- 201. Pans Lavatory Flush
- 202. Paper conversion products- paper bags, envelops, lce-cream cup, paper cup and saucers and paper Plates
- 203. Paper Tapes (Gummed)
- 204. Pappads
- 205. Pickles and Chutney
- 206. Piles fabric
- 207. Pillows
- 208. Plaster of Paris
- 209. Plastic Blow Moulded Containers upto 20 litre excluding Poly Ethylene Terphthalate (PET) Containers
- 210. Plastic cane
- 211. Playing Cards
- 212. Plugs and Sockets electric upto 15 Amp
- 213. Polythene bags
- 214. Polythene Pipes
- 215. Post Picket (Wooden)
- 216. Postal Lead seals
- 217. Potassium Nitrate
- 218. Pouches
- 219. Pressure Die Casting upto 0.75 kg
- 220. Privy Pans
- 221. Pulley Wire
- 222. PVC footwears

- 223. PVC pipes upto 110 mm
- 224. PVC Insulated Aluminium Cables (upto 120 sq. mm) (ISS:694)
- 225. Quilts, Razais
- 226. Rags
- 227. Railway Carriage light fittings
- 228. Rakes Ballast
- 229. Razors
- 230. RCC Pipes upto 1200 mm. dia
- 231. RCC Poles Prestressed
- 232. Rivets of all types
- 233. Rolling Shutters
- 234. Roof light Fittings
- 235. Rubber Balloons
- 236. Rubber Cord
- 237. Rubber Hoses (Unbranded)
- 238. Rubber Tubing (Excluding braided tubing)
- 239. Rubberised Garments Cap and Caps etc.
- 240. Rust/Scale Removing composition
- 241. Safe meat and milk
- 242. Safety matches
- 243. Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.)
- 244. Sanitary Plumbing fittings
- 245. Sanitary Towels
- 246. Scientific Laboratory glass wares (Barring sophisticated items)
- 247. Scissors cutting (ordinary)
- 248. Screws of all types including High Tensile
- 249. Sheep skin all types
- 250. Shellac
- 251. Shoe laces
- 252. Shovels
- 253. Sign Boards painted
- 254. Silk ribbon
- 255. Silk Webbing
- 256. Skiboots and shoes
- 257. Sluice Valves
- 258. Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones)
- 259. Soap Carbolic
- 260. Soap Curd
- 261. Soap Liquid
- 262. Soap Soft
- 263. Soap washing or laundary soap
- 264. Soap Yellow
- 265. Socket/pipes

, C

у.

- 266. Sodium Nitrate
- 267. Sodium Silicate
- 268. Sole leather
- 269. Spectacle frames
- 270. Spiked boot
- 271. Sports shoes made out of leather (for all Sports games)
- 272. Squirrel Cage Induction Motors upto and including 100 KW440 volts 3 phase
- 273. Stapling machine
- 274. Steel Almirah
- 275. Steel beds stead
- 276. Steel Chair

17

₹

- 277. Steel desks
- 278. Steel racks/shelf
- 279. Steel stools
- 280. Steel trunks
- 281. Steel wool
- 282. Steel and aluminium windows and ventilators
- 283. Stockinet
- 284. Stone and stone quarry rollers
- 285. Stoneware jars
- 286. Stranded Wire
- 287. Street light fittings
- 288. Student Microscope
- 289. Studs (excluding high tensile)
- 290. Surgical Gloves (Except Plastic)
- 291. Table knives (Excluding Cutlery)
- 292. Tack Metallic
- 293. Taps
- 294. Tarpaulins
- 295. Teak fabricated round blocks
- 296. Tent Poles
- 297. Tentage Civil/Military and Salitah Jute for Tentage
- 298. Textiles manufactures other than N.E.C. (not elsewhere classified)
- 299. Tiles
- 300. Tin Boxes for postage stamp
- 301. Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (other than can O.T.S.)
- 302. Tin Mess
- 303. Tip Boots
- 304. Toggle Switches
- 305. Toilet Rolls
- 306. Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 (upto 600 amps)

- 307. Transistor Radio upto 3 band
- 308. Transistorised Insulation Testers
- 309. Trays
- 310. Trays for postal use
- 311. Trolley
- 312. Trollies drinking water
- 313. Tubular Poles
- 314. Tyres and Tubes (Cycles)
- 315. Umbrellas
- 316. Utensils all types
- 317. Valves Metallic
- 318. Varnish Black Japan
- 319. Voltage Stablisers including C.V.T's
- 320. Washers all types
- 321. Water Proof Covers
- 322. Water Proof paper-
- 323. Water tanks upto 15,000 litres capacity
- 324. Wax sealing
- 325. Waxed paper
- 326. Weighing Scale
- 327. Welded Wiremash
- 328. Wheel barrows
- 329. Whistle
- 330. Wicks cotton
- 331. Wing Shield Wipers (Arms and Blades only)
- 332. Wire brushes and Fibre Brushes
- 333. Wire Fencing and Fittings
- 334. Wire nails and Horse shoe nails
- 335. Wire nettings of gauze thicker than 100 mesh size
- 336. Wood Wool
- 337. Wooden ammunition boxes
- 338. Wooden Boards
- 339. Wooden Box for Stamps
- 340. Wooden Boxes and Cases N.E.C. (Not elsewhere classified)
- 341. Wooden Chairs
- 342. Wooden Flush Door Shutters
- 343. Wooden packing cases all sizes
- 344. Wooden pins
- 345. Wooden plugs
- 346. Wooden shelves
- 347. Wooden veneers
- 348. Woollen hosiery
- 349. Zinc Sulphate
- 350. Zip Fasteners

10.00

HANDICRAFT ITEMS			354.	Wooden paper	_
351	Item Description Cane furniture Handlooms	Source of Supply North Eastern Handicrafts and Development Corporation Assam Govt. Marketing Corpn. Craft Society of Manipur Nagaland Handicrafts and Handlooms Development Corpn.		weight, racks etc.	-do-
			355.	Glass covers made and grass jute of wood	-do-
			356.	Jute furniture	West Bengal Handicrafts Dev.Corpn. Jute Mfg. Development Corporation Orissa State Handicrafts Dev.Corpn.
352.	Bamboo file tray, Baskets, Pencil	-do-	357.	Jute bags, file cover	-do-
353.	stand, side racks etc 353. Artistic Wooden Furniture	Rajasthan Small Industries Corpn., U.P. Export Corporation.	358.	Woolen and silk carpets	U.P. Export Corporation JandK Sale and Export Corporation

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

i," ∎'

34